।।कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।।

क्रमांकः—एन—1(2)आरपीए/जन/नाकारा/16/223 दिनांकः— 11/1/23

नीलामी सूचना

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के जनरल स्टोर का नाकारा एवं अनुपयोगी सामान जिसमें चारपाई, टेन्ट, बिजली के मीटर, डेजर्ट कूलर, कुर्सियाँ, बैंच लकड़ी, बक्सा लकड़ी, ट्यूब लाईट पट्टी, पेडस्टल फैन, सिलिंग फैन, एल्यूमिनियम बर्तन, जीआई पाईप, खेल का सामान इत्यादि विविध प्रकार का सामान सम्मिलित हैं तथा जिसकी अनुमानित कीमत 62,75,529/—रू0 है एवं इसके अतिरिक्त ई— वेस्ट के इलेक्ट्रीक नकारा सामान (कम्प्यूटर पार्टस, प्रिन्टर, मॉनीटर, सीपीयू, यूपीएस, की बोर्ड, माउस, स्टेपलाईजर आदि) का पुस्तक मूल्य 14,87,070/— है। कुल राशि 77,62,599/— रू है। नीलामी दिनांक 31.01.2023 को 11.30 ए.एम. पर आयोजित की जा रही है। अतः इच्छुक बोलीदाता/बिडर्स राजस्थान पुलिस अकादमी के जनरल स्टोर परिसर में निर्धारित समय पर पहुँच कर नीलामी मे भाग लेने हेतु सूचित हों। अनुपयोगी नीलामी योग्य सामानों की सर्वे सूची—नीलामी शर्तें एवं अन्य जानकारी कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है। बोलीदाता बयाना राशि पेटे 50,000/रू0 जमा करवाने पर ही नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकेगा।

उप निदेशक एवं प्राचार्य,
राजस्थान पुलिस अकादमी
जयपुर

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राज0 जयपुर को भेजकर लेख है कि नीलामी सूचना का विज्ञापन एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र एवं एक अखिल भारतीय स्तर के तीन दिवस में प्रकाशित कराये।
2. समस्त क्षेत्रीय एवं संभागीय आयुक्त, राज0 जयपुर को भेजकर निवेदन है कि आपके मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगवाने का श्रम करें।
3. वितिय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय राज0 जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. उप महानिरीक्षक, आर.पी.ए. जयपुर।
5. उप निदेशक एवं प्राचार्य, आर.पी.ए. जयपुर।
6. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त नीलामी तिथि को यथासमय पर आप द्वारा मनोनीत लेखा संवर्ग के अधिकारी/कर्मचारी को भिजवाने का कष्ट करें।
7. सहायक निदेशक (प्रशासन/आउटडोर/इण्डोर) राज0 पुलिस अकादमी जयपुर।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी/प्रोग्रामर/संचित निरीक्षक (प्रशासन)/कैशियर/प्रभारी जनरल स्टोर आर.पी.ए. जयपुर।

उप निदेशक एवं प्राचार्य,
राजस्थान पुलिस अकादमी
जयपुर

कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

क्रमांकः–एन–1(2)आरपीए/जन/नाकारा/16/224 दिनांकः– 11/1/23

नीलामी की शर्ते

दिनांक 31.01.2023 को प्रातः 11.00 बजे राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में विभिन्न प्रकार के नाकारा सामान का गठित कमेठी द्वारा सार्वजनिक निलामी कर निस्तारण किया जाना है, नीलामी योग्य सामान का विवरण निम्न प्रकार से है–

नाकारा एवं अनुपयोगी सामान जिसमें चारपाई, टेन्ट, बिजली के मीटर, डेजर्ट कूलर, कुर्सियाँ, बैंच लकड़ी, बक्सा लकड़ी, ट्यूब लाईट पट्‌टी, पेडस्टल फैन, सिलिंग फैन, एल्यूमिनियम बर्तन, हथौड़े, जीआई पाईप, खेल का सामान इत्यादि विविध प्रकार का सामान सम्मिलित हैं तथा जिसका अनुमानित पुस्तक मूल्य 62,75,529/–रू0 है एवं इसके अतिरिक्त ई– वेस्ट के इलेक्ट्रीक नकारा सामान (कम्प्यूटर पार्टस, प्रिन्टर, मॉनीटर, सीपीयू, यूपीएस, की बोर्ड, माउस, स्टेपलाईजर आदि) का पुस्तक मूल्य 14,87,070/– है। कुल राशि 77,62,599/– रू है।

अतः जो खरीददार बोली लगाने के इच्छुक हो वह दिनांक 31.01.2023 को निश्चित समय पर उपस्थित होकर बोली लगा सकते है। उक्त सामान किसी भी कार्य दिवस में राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर स्थित जनरल स्टोर में देखा जा सकता है। नीलामी की निम्नांकित शर्ते होगी, जो सभी बोली दाताओं को मान्य होगी।

1. ई– वेस्ट के इलेक्ट्रीक नकारा सामान हेतु Ministry of Environment and Forests] Govt of India के e–waste (Management and Handling) Rules, 2011 के अनुसार रजिस्टर्ड फर्म ही बोली लगाने हेतु पात्र होगी।
2. बोली लगाने वाले व्यक्ति को बोली लगाने से पूर्व 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र) नकद राशि कैशियर, आर0पी0ए, जयपुर को प्रातः समय 11.30 बजे तक धरोहर राशि के रूप में जमा करानी होगी।
3. जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटेगी उसको उसी समय नीलामी का 50 प्रतिशत रकम जमा करानी होगी. शेष रकम बोली छूटने के 24 घण्टे के अन्दर जमा करानी होगी अन्यथा जमा कराई गई राशि जब्त कर ली जावेगी ।
4. जिसके नाम पर बोली छूटेगी, उक्त बोली दाता को नियमानुसार जीएसटी की राशि स्वयं को जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करने के पश्चात ही सामान सुपुर्द किया जावेगा।
5. नीलामी का उचित मूल्य प्राप्त होने पर नीलामी रोकने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नीलामी कमेटी को होगा।
6. बोली लगाने से पूर्व कमेटी द्वारा रखी गई शर्ते मान्य होगी, बोली सामाप्त होने पर किसी भी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा।
7. सामान नीलामी पूर्ण होने के 02 दिवस के अन्दर उठाना आवश्यक होगा नीलामी में सामान स्वयं के खर्चे पर ले जाना होगा।
8. जीएसटी रजिस्ट्रेड फर्म / बोलीदाता ही बोली में भाग लेन हेतु पात्र होगे। इसके लिये जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रति साथ लानी होगी।

उप निदेशक एवं प्राचार्य,
राजस्थान पुलिस अकादमी
जयपुर